

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *73
जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

नदियों को आपस में जोड़े जाने की स्थिति

*73. श्री सी. वी. षनमुगम:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्तमान में देश में नदियों के परस्पर संयोजन की परियोजना, जिसमें गोदावरी, कावेरी, पलार आदि नदियों का परस्पर संयोजन भी शामिल है, की स्थिति का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई समिति गठित की गई है;
- (ग) यदि हां, तो समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, यदि कोई हो, सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) गोदावरी, कावेरी, पलार आदि नदियों के परस्पर संयोजन सहित उक्त प्रत्येक परियोजना पर कार्य आरंभ करने के लिए सरकार द्वारा परियोजना-वार क्या कार्रवाई की गई है;
- (ङ) क्या सरकार ने इस परियोजना के लिए कोई धनराशि निर्धारित की है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री

श्री सी. आर. पाटील

(क) से (च): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

‘नदियों को आपस में जोड़े जाने की स्थिति’ के संबंध में दिनांक 10.02.2025 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *73 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): वर्ष 1980 में, भारत सरकार ने जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल अंतरण के लिए नदियों को आपस में जोड़ने (आईएलआर) की एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की थी। इस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) को नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य सौंपा गया है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत 30 लिंकों (प्रायद्वीपीय घटक के तहत 16 लिंक और हिमालयी घटक के तहत 14 लिंक) की पहचान की गई है। इनमें से 11 लिंक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), 26 लिंकों की व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) और सभी 30 लिंकों की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार करने का कार्य पूरा किया जा चुका है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत आईएलआर परियोजनाओं की विस्तृत स्थिति को अनुलग्नक-I में दर्शाया गया है।

भारत सरकार, आईएलआर कार्यक्रम को परामर्श के आधार पर आगे बढ़ा रही है और इसे सबसे अधिक प्राथमिकता प्रदान की गई है। पक्षकार राज्यों के बीच अपेक्षित सहमति बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर भरसक प्रयास किए गए हैं ताकि विभिन्न आईएलआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा सके। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश के आधार पर भारत सरकार द्वारा सितंबर 2014 में जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में एक नदी जोड़ विशिष्ट समिति (स्पेशल कमेटी फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर) का गठन किया गया था। यह नदी जोड़ विशिष्ट समिति, नियमित रूप से आईएलआर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती है और राज्य के प्रतिनिधि, बैठकों के दौरान अपने मतों के बारे में चर्चा करते हैं जिससे कि विभिन्न आईएलआर परियोजना संबंधी उनकी आशंकाओं का निवारण हो सके। अब तक, नदी जोड़ विशेष समिति की 22 बैठकें हो चुकी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल को नदी जोड़ विशिष्ट समिति द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट से अवगत कराया जाता है। इसके अतिरिक्त, आईएलआर कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों को तेजी से करने और नदी जोड़ विशिष्ट समिति की सहायता के लिए ‘टॉस्क फोर्स फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर’ का भी गठन किया गया है। इस टॉस्क फोर्स की अब तक, 20 बैठकें हो चुकी हैं और संबंधित राज्यों के साथ हुए परामर्श के आधार पर विभिन्न आईएलआर परियोजनाओं के लिए सहमति बनाने के भरसक प्रयास किए गए हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत 5 आईएलआर परियोजनाओं को प्राथमिकता लिंक के रूप में अर्थात: केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी), संशोधित पार्वती-कालिसिंध-चंबल (संशोधित पीकेसी) लिंक परियोजना और गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना के अंतर्गत 3 लिंक {गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक, कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेनार (सोमसिला) लिंक और पेनार (सोमसिला)-कावेरी लिंक} को चिह्नित किया गया है।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक परियोजना प्रथम ऐसी लिंक परियोजना है, जिसके कार्यान्वयन की शुरुआत, पक्षकार राज्यों के बीच सहमति बन जाने और मार्च 2021 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात दिसंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दिए जाने के उपरांत की गई, इसकी अनुमानित लागत 44,605 करोड़ रुपए है,

जिसमें 39,317 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता राशि शामिल है। इस परियोजना को मार्च 2030 तक पूरा किया जाना है। इसके अलावा, हाल ही में, मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा संघ भारत के बीच एक संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

इस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में, गोदावरी, कावेरी आदि जैसी नदियों को परस्पर जोड़ने के संबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ, मानस, संकोश, तीस्ता, गंगा, दामोदर, सुबर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और गुंडूर नदियों को जोड़ने के प्रस्ताव शामिल हैं। मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा-दामोदर- सुबर्णरेखा- महानदी लिंक प्रणाली का उद्देश्य, महानदी को जल उपलब्ध कराना है और इसके उपरांत, महानदी-गोदावरी- कृष्णा- पेन्नार- कावेरी- वैगई- गुंडूर लिंक प्रणाली द्वारा दक्षिण में जल उपलब्ध कराया जाएगा।

महानदी-गोदावरी लिंक और ऊपरी लिंक पर सहमति लम्बित रहते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य के इंद्रावती उप-नदी बेसिन के लगभग 4189 मिलियन घन मीटर गैर-उपयोगी जल को गोदावरी (इंचमपल्ली)-कावेरी लिंक के माध्यम से मोड़ना परिकल्पित किया गया है, ताकि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में मौजूदा कमांड का संपूरित करते हुए लगभग 5.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को इसका सिंचाई लाभ प्रदान किया जा सके। इस परियोजना में इन तीन राज्यों और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र जिसमें कर्नाटक के मलाप्रभा उप-नदी बेसिन भी शामिल है। घरेलू और औद्योगिक आवश्यकताओं की मांगों पर भी इस परियोजना में विचार किया गया है।

इसकी संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) एनडब्ल्यूडीए द्वारा तैयार की गई है और इसे जनवरी 2024 में पक्षकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित किया गया है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पक्षकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच अपेक्षित सहमति बनाने के प्रयास किए गए हैं और यह पुडुचेरी के पक्षकार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के ऊपर है कि वे इस मामले में सहमति बनाएं।

(ड) और (च): निधियों का आवंटन और उनका उपयोग का प्रश्न तब उठता है जब कोई आईएलआर परियोजना कार्यान्वयन के चरण तक पहुँचती है और पक्षकार राज्य सहमति बना लेते हैं और उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर देते हैं। जहां तक गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना का सवाल है, इसके कार्यान्वयन के लिए पक्षकार राज्यों/पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के बीच सहमति बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, एनपीपी के तहत केबीएलपी प्रथम और एकमात्र ऐसी आईएलआर परियोजना है, जो कार्यान्वयन के चरण तक पहुँच चुकी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 44,605 करोड़ रुपये है, जिसके लिए केंद्रीय सहायता 39,317 करोड़ रुपये है। दिनांक 31.12.2024 तक केबीएलपी पर भारत सरकार द्वारा 8023.37 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। केबीएलपी के लिए भारत सरकार द्वारा आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा अनुलग्नक-11 में दिया गया है।

‘नदियों को आपस में जोड़े जाने की स्थिति’ के संबंध में दिनांक 10.02.2025 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *73 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी परियोजनाओं का ब्योरा और मौजूदा स्थिति
प्रायद्वीपीय घटक

क्र.सं.	नाम	लाभान्वित राज्य	स्थिति
1	क. महानदी (मणिभद्र) - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक	आंध्र प्रदेश (एपी) और ओडिशा	एफआर पूर्ण
	ख. वैकल्पिक महानदी (बरमूल) - ऋषिकुल्या - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक	आंध्र प्रदेश और ओडिशा	एफआर पूर्ण
2	गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक@	आंध्र प्रदेश	एफआर पूर्ण
3	क) गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक	तेलंगाना	एफआर पूर्ण
	ख) वैकल्पिक गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक *	तेलंगाना	डीपीआर पूर्ण
4	गोदावरी (इंचमपल्ली/एसएसएमपीपी) - कृष्णा (पुलिचिंताला) लिंक	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश	डीपीआर पूर्ण
5	क) कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) लिंक	आंध्र प्रदेश	एफआर पूर्ण
	ख) वैकल्पिक कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) लिंक *	आंध्र प्रदेश	डीपीआर पूर्ण
6	कृष्णा (श्रीशैलम) – पेन्नार लिंक	आंध्र प्रदेश	मसौदा डीपीआर पूर्ण
7	कृष्णा (अलमाटी) – पेन्नार लिंक	आंध्र प्रदेश और कर्नाटक	मसौदा डीपीआर पूर्ण
8	क) पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रेंड एनीकट) लिंक	आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु और पुदुचेरी	एफआर पूर्ण
	ख) वैकल्पिक पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रेंड एनीकट) लिंक *	आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु और पुदुचेरी	डीपीआर पूर्ण
9	कावेरी (कट्टलाई) - वैगई - गुंडर लिंक	तमिल नाडु	डीपीआर पूर्ण
10	क) पार्वती-कालीसिंध - चंबल लिंक	मध्य प्रदेश (एमपी) और राजस्थान	एफआर पूर्ण
	ख) संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक (ईआरसीपी के साथ विधिवत एकीकृत)	मध्य प्रदेश और राजस्थान	मसौदा डीपीआर पूर्ण
11	दमनगंगा - पिंजल लिंक	महाराष्ट्र	डीपीआर पूर्ण
12	पार-तापी-नर्मदा लिंक	गुजरात और महाराष्ट्र	डीपीआर पूर्ण
13	केन-बेतवा लिंक	उत्तर प्रदेश (यूपी) और मध्य प्रदेश	डीपीआर पूर्ण और परियोजना का कार्य चल रहा है।
14	पंजा - अचनकोविल - वैप्पर लिंक	तमिलनाडु और केरल	एफआर पूर्ण
15	बेदती - वरदा लिंक@@	कर्नाटक	डीपीआर पूर्ण
16	नेत्रावती – हेमावती लिंक**	कर्नाटक	पीएफआर पूर्ण

* मणिभद्र और इंचमपल्ली बांधों पर लंबित सहमति के कारण गोदावरी नदी के अप्रयुक्त जल को मोड़ने के लिए वैकल्पिक अध्ययन किया गया था और गोदावरी (इंचमपल्ली जनमपेट)-कृष्णा (नागार्जुन सागर)-पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रेड एनीकट) लिंक परियोजनाओं की डीपीआर का कार्य पूरा कर लिया गया था। गोदावरी-कावेरी (ग्रेड एनीकट) लिंक परियोजना तैयार कर ली गई है जिसमें गोदावरी (इंचमपल्ली जनमपेट)-कृष्णा (नागार्जुन सागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला) और पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रेड एनीकट) लिंक परियोजनाएं शामिल हैं।

**आगे के अध्ययन शुरू नहीं किए गए हैं क्योंकि कर्नाटक सरकार द्वारा यट्टीनाहोल परियोजना के कार्यान्वयन के बाद, इस लिंक के माध्यम से नेत्रावती बेसिन में पानी के डायवर्जन के लिए कोई अधिशेष पानी उपलब्ध नहीं है।

@ गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक- इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है।

@@ बेदती-वरदा लिंक- इसकी पीएफआर तैयार होने के बाद सीधे डीपीआर तैयार किया गया था, कोई एफआर तैयार नहीं की गयी थी।

हिमालयी घटक

क्र.सं.	नाम	देश /लाभान्वित राज्य	स्थिति
1.	कोसी-मेची लिंक	बिहार और नेपाल	पीएफआर पूर्ण
2.	कोसी-घाघरा लिंक	बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल	एफआर पूर्ण
3.	गंडक - गंगा लिंक	उत्तर प्रदेश और नेपाल	एफआर पूर्ण
4.	घाघरा-यमुना लिंक	उत्तर प्रदेश और नेपाल	मसौदा एफआर पूर्ण
5.	सारदा-यमुना लिंक	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	एफआर पूर्ण
6.	यमुना-राजस्थान लिंक	हरियाणा और राजस्थान	एफआर पूर्ण
7.	राजस्थान-साबरमती लिंक	राजस्थान और गुजरात	एफआर पूर्ण
8.	चुनार-सोन बैराज लिंक	बिहार और उत्तर प्रदेश	मसौदा एफआर पूर्ण
9.	सोन बांध गंगा लिंक की दक्षिणी सहायक नदियाँ	-बिहार और झारखंड	मसौदा एफआर पूर्ण
10.	मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) लिंक	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार	एफआर पूर्ण
11.	जोगीघोपा-तिस्ता-फरक्का लिंक (एम-एस-टी-जी का विकल्प)	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार	पीएफआर पूर्ण प्रस्ताव) (वापिस ले लिया गया है
12.	फरक्का-सुंदरबन लिंक	पश्चिम बंगाल	एफआर पूर्ण
13.	गंगा (फरक्का) - दामोदर-सुवर्णरेखा लिंक	पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड	एफआर पूर्ण
14.	सुवर्णरेखा-महानदी लिंक	पश्चिम बंगाल और ओडिशा	एफआर पूर्ण

“नदियों को आपस में जोड़े जाने की स्थिति” के संबंध में दिनांक 10.02.2025 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *73 के भाग (ड) और (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

भारत सरकार द्वारा केबीएलपी को आबंटित निधियों की स्थिति और उनका उपयोग

वर्ष	आबंटित बजट (करोड़ रुपये में)	व्यय (करोड़ रुपये में)
2021-22	4644.46	4639.46
2022-23	1400	622.42
2023-24	3500	1392.37
2024-25	4000	1369.12
		(दिनांक 31.12.2024 तक)
